उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्या-103/1/1/2019-सीएक्स-3
लखनऊः दिनांकः 26, सितम्बर, 2019

अधिसूचना

चूँकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग, विद्युत उपकेन्द्र चौफेरवा, जिला फतेहपुर से आगरा, कानपुर, प्रयागराज, सिंगरौली, वाराणसी, ऊँचाहार एवं रायबरेली आदि तक विद्युत पारेषण के लिये किया जाता है;

और चूँकि उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुंचेगा;

अतएव, अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्दिष्टयां	
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के 765/400/220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ग्राम चौफेरवा, जिला फतेहपुर	
पूर्व में -	लखनऊ हाईवे।
पश्चिम में-	प्लाट संख्या- 273 पन्नालाल आदि की भूमि।
उत्तर में-	प्लाट संख्या- 307 वन विभाग की भूमि व अन्य कृषकों की भूमि व चौफेरवा माइनर कैनाल।
दक्षिण में-	ग्राम वस्तापुर की भूमि व नाला।

23/9/19

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव